न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 01/2023
रजि. संख्या : 2023/11

प्रार्थीपक्ष :–		अप्रार्थी :–
श्री पवन कुमार पिता श्री खेमजी उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झडस, भाग द्वितीय निवासी अवलपुरा, तहसील गढी, बांसवाडा (राज.)	बनाम	राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा

उपस्थित

श्री राजकुमार जैन
(अधिवक्ता अपीलार्थी)

विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976)

निर्णय

दिनांक :– 11–08–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री पवन कुमार पिता श्री खेमजी उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झडस, भाग द्वितीय की जाँच दिनांक 24.06.2021 प्रवर्तन निरीक्षक गढ़ी द्वारा की गई। निरीक्षण के दौरान पोस मशीन अनुसार मलाना भाग द्वितीय के गोदाम में माह जुन का वितरण करने के पश्चात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 2.96 क्विं. गेहुँ शेष था, एवं माह जुलाई 2021 हेतु प्राप्त 78.43 क्विं गेहुँ कुल 81.39 क्विं गेहुँ स्टॉक में होना था। गोदाम का भौतिक सत्यापन पर 20 क्विं 78 किग्रा. 550 ग्राम गेहुँ पाया गया। गोदाम में 60 क्विं 60 किग्रा. 45 ग्राम गेहुँ कम पाया गया। गॉव बडिया के 30 उपभोक्ताओ के बयान लिये गये, बयान के आधार पर डीलर द्वारा उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का गेहुँ ट्रांजेक्शन करने के बाद भी नही देकर 630 किग्रा. गेहुँ का गबन एवं दुरुपयोग किया गया। 176 किग्रा. चीनी की मात्रा मौके पर कम पायी गई। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के ... के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 11, 15, 17 सी व 18 का उल्लंघन पाये जाने पर डीलर के विरुद्ध विभागीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.08 16:44:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रकरण दर्ज कर डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 06.07.2021 को निलम्बित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक पीएस/एसएफ/ 2022/ 11 दिनांक 20.01.2022 की अनुपालना एवं कार्यालय हाजा के पत्रांक 119 दिनांक 21.01.2022 के आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी गढी द्वारा पुनः जाँच की गई। उक्त जाँच में भी 60 क्विं 60 किग्रा. 45 ग्राम गेहुँ को काला बाजारी की नियत से खुर्द बुर्द करना, 176 किग्रा चीनी का दुरुपयोग कर काला बाजारी करना एवं गाँव बडिया के 30 उपभोक्ताओ को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का गेहुँ ट्रांजेक्शन करने के बाद भी नही देकर 630 किग्रा. गेहुँ का गबन एवं दुरुपयोग की पुष्टी हुई।

रसद विभाग के जाँच दल द्वारा दिनांक 17.06.2021 को झडस भाग द्वितीय पोस कोड 6055 के गोदाम की जाँच के दौरान माह जुन 2021 के वितरण के बाद अवशेष 6.64 क्विं गेहुँ पाया गया था। परन्तु डीलर को जुलाई 2021 में वितरण हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत 43.40 क्विं. गेहुँ प्राप्त हुआ था, जो पोस मशिन में प्रदर्शित नही था, परन्तु गोदाम में होना चाहिये था, जो गोदाम में नही था। डीलर द्वारा उक्त गेहुँ प्राप्त होने के सन्दर्भ में जाँच दल को अवगत नही करवाया था। डीलर द्वारा निलम्बन के बाद उक्त गेहुँ का पोस मशिन द्वारा वितरण करना दर्शाया है जो उसके द्वारा अपने कृत्य को छुपाने के लिये किया गया।

इस प्रकार डीलर द्वारा कुल 110 क्वि. 30 किलो 45 ग्राम एवं 1.76 क्विं चीनी का गबन एवं दुरुपयोग प्रमाणित पाये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 11, 15, 17 सी व 18 का उल्लंघन पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 10/2021 निर्णय दिनांक 25.04.2022 से डीलर श्री [illegible] कुमार पिता श्री खेमजी उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झडस, भाग द्वितिय तहसील गढी [illegible] जारी प्राधिकार पत्र संख्या 1488/2011

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.08 16:44:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

निरस्त किया एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने आदेश दिया गया। जिससे अप्रसन्न असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को सम्मन जारी किया गया। दिनांक 16.02.2023 को रेस्पोडेंट जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित किया गया कि रेस्पोडेट द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्यों के आधार पर विधि संगत ढंग से निर्णय पारित किया गया है। झड़स भाग–द्वितीय के डीलर पवन कुमार/खेमजी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच दिनांक 25.06.2021 को प्रवर्तन निरीक्षक गढ़ी द्वारा की गई। श्रीमान् शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक PS/SF/2022/11 दिनांक 20.01.2022 की अनुपालना में श्रीमान के पत्र क्रमांक एफ ( ) रसद/अभियोजन/2021/119 दिनांक 21.01.2022 के आदेश अनुसार श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, गढ़ी द्वारा भी प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच की गई, जिसमें पाया गया कि पवन कुमार/खेमजी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा मलाना भाग–द्वितीय में जुलाई 2021 हेतु आवंटित 78.43 क्वि. गेहूँ में से 60 क्वि. 60 किग्रा. एवं 450 ग्राम गेहूँ को कालाबाजारी की नियत से खुर्द–बुर्द कर गबन किया गया। दिनांक 24.06.2021 की जांच में 176 किग्रा. चीनी की मात्रा मौके पर नहीं पायी गयी थी। जिसे डीलर द्वारा प्रथम दृष्टया चीनी का दुरूपयोग कर कालाबाजारी किया जाना प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत मलाना भाग–द्वितीय के गांव बाडिया के 30 उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत गेहूँ का ट्रांजेक्शन दर्शाने के बाद भी गेहूँ नहीं देकर 6.30 क्वि. गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग किया गया। [illegible] के जांच दल द्वारा दिनांक 17.06.2021 को झड़स भाग–द्वितीय पोस कोड 6055 के गोदाम [illegible] जांच की गई थी। गोदाम में जून 2021 के वितरण के बाद अवशेष 6.64 [illegible] था। डीलर को माह जुलाई 2021 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.08 16:44:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

वितरण हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत 43.40 क्वि. गेहूँ प्राप्त हो गया था, जो पोस मशीन में प्रदर्शित नहीं था, परन्तु गोदाम में होना चाहिए था। उक्त 43.40 क्वि. गेहूँ गोदाम में नहीं पाया गया था एवं डीलर द्वारा उक्त गेहूँ प्राप्त होने के संबंध में जांच दल को अवगत नहीं करवाया गया था। यद्यपि डीलर द्वारा निलम्बन के बाद भी उक्त गेहूँ का पोस मशीन द्वारा वितरण करना दर्शाया गया है। यह वितरण उसके द्वारा अपने कृत्य को छुपाने के लिए किया गया। इस प्रकार पवन कुमार/खेमजी उचित मूल्य दुकानदार झड़स भाग–द्वितीय द्वारा ग्राम पंचायत मलाना भाग–द्वितीय (अस्थाई) पोस कोड 6075 द्वारा माह जून 2021 में उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत गेहूँ का ट्रांजेक्शन दर्शाने के बाद भी गेहूँ नहीं देकर 6.30 क्वि. गेहूँ का गबन करने के साथ ही माह जुलाई 2021 में वितरण हेतु प्राप्त 60 क्वि. 60 किग्रा. 450 ग्राम गेहूँ का भी गबन एवं दुरूपयोग किया गया है। साथ ही पूर्व की 1.76 क्वि. चीनी का भी गबन एवं दुरूपयोग किया गया। इसके साथ ही झडस भाग–द्वितीय पोस कोड 6055 में माह जुलाई 2021 हेतु प्राप्त 43.40 क्वि. गेहूँ का भी गबन किया गया था जो कृत्य को छिपाने के लिए निलम्बित होने के पश्चात् वितरण दर्शाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा दोनो उचित मूल्य दुकानो पर कुल 110 क्वि. 30 किग्रा. 45 ग्राम गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग किया गया। पवन कुमार/खेमजी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत् जारी प्राधिकार–पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 11, 15 17सी व 18 का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध है। इस पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 654–58 दिनांक 06.07.2021 द्वारा उसका प्राधिकार–पत्र संख्या 1488/2011 निलम्बित किया गया। एवं कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसका डीलर द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। डीलर को कई अवसर दिए गए। परन्तु डीलर निर्धारित तिथियों को सुनवाई हेतु उपस्थित नही हुआ। जिस पर डीलर के विरूद्ध निर्णय पारित किया जाकर दिनांक 25.04.2022 को उसका प्राधिकार–पत्र निरस्त कर दिया गया एवं उसकी संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त की गई। साथ ही इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 149–[illegible] दिनांक 02.02.2022 द्वारा डीलर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.08 16:44:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0017/07.02.2022 दर्ज करवाई गई। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पवन कुमार/खेमजी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को खारिज करने के आदेश जारी करने का श्रम करावे।

दिनांक 02.08.2023 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 25.04.2022 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 16.01.2023 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार आठ माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि अपीलार्थी को प्रश्नगत निर्णय दिनांक 25.04.2022 की जानकारी नही थी जानकारी होने पर प्रतिलिपि हेतु आवेदन करने कर निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर एक माह की अवधि में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में देरी का कारण युक्तियुक्त, सद्भाविक एवं न्याय संगत होकर क्षम्य किये जाने योग्य है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

उभयपक्षकारान ने मूल अपील पर बहस प्रस्तुत की। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रस्तुत अपील के बिन्दुओ को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत झडस भाग द्वितीय का उचित मुल्य दुकानदार है। अपीलांट को रसद विभाग द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 1488/2011 जारी किया गया है एवं तदनुसार [illegible] उपभोक्ताओ को आवश्यक वस्तुओ का वितरण करता चला आ रहा है। रसद विभाग द्वारा [illegible] जून 2021 में उपभोक्ताओ को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गेहूं का ट्रांजेक्शन [illegible] के बाद गेहूँ का वितरण नही कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.08 16:44:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

6.30 क्विं. गेहुँ का गबन करना माना है तथा 1.76 क्वि. चीनी का गबन एवं दुरुपयोग माना है। पोस मशीन कोड 6055 में माह जुलाई 2021 में 43.40 क्विं. गेहूँ का गबन बिना भौतिक सत्यापन के कम वितरण करना मानकर प्राधिकार पत्र को निरस्त किया है। अपीलांट के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् प्रथम सूचना संख्या 17/2022 पुलिस थाना अरथुना में दर्ज कराई गई है। उक्त प्रकरण में सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर कोई अपराध बनना नही पाया जाकर अन्तिम रिपोर्ट संख्या 1 दिनांक 23.10.2022 से मामला अदम वकुवा तथ्य की भूल का मानकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने उक्त प्रकरण के नोटिस के जवाब में पर्याप्त स्पष्टीकरण जिला रसद अधिकारी को दिया है। अपीलांट ने प्रत्येक उपभोक्ता के राशनकार्ड में युनिट्स के अनुसार नियमानुसार सामग्री देकर नियमानुसार राशनकार्ड में प्रविष्टि की है। उपभोक्ताओ को अंगुठा लगवाकर सामग्री दी गई है एवं पोस मशीन की पर्ची भी उपभोक्ताओ को दी है। अपीलांट ने 110 क्विं 30 किलो 45 ग्राम गेहूँ एवं 1.76 क्विं चीनी का दुरुपयोग व गबन नही किया है। स्टॉक रजिस्टर में दुकान का स्टॉक निरीक्षण में कम ज्यादा नही पाया गया है। अपील अपीलांट स्वीकृत फरमावे एवं जिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 25.04.2022 को निरस्त फरमावे।

रेस्पोडेंट की ओर से विभागीय पैरोकार ने जवाब में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि रेस्पोडेट द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्यों के आधार पर विधि संगत ढंग से निर्णय पारित किया है। झड़स भाग–द्वितीय के डीलर पवन कुमार/खेमजी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच दिनांक 25.06.2021 को प्रवर्तन निरीक्षक गढ़ी द्वारा की गई। श्रीमान् शासन सचिव महोदय, खादय एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक PS/SF/2022/11 दिनांक 20.01.2022 की अनुपालना में श्रीम[illegible] पत्र क्रमांक एफ ( ) रसंद/अभियोजन/2021/119 दिनांक [illegible] के आ[illegible] अनुसार श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, गढ़ी द्वारा भी प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच [illegible] गई, जिसमें पाया गया कि पवन

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.08 16:44:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

कुमार/खेमजी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा मलाना भाग–द्वितीय में जुलाई 2021 हेतु आवंटित 78.43 क्वि. गेहूँ में से 60 क्वि. 60 किग्रा. एवं 450 ग्राम गेहूँ को कालाबाजारी की नियत से खुर्द–बुर्द कर गबन किया गया। दिनांक 24.06.2021 की जांच में 176 किग्रा. चीनी की मात्रा मौके पर नहीं पायी गयी थी। जिसे डीलर द्वारा प्रथम दृष्टया चीनी का दुरूपयोग कर कालाबाजारी किया जाना प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत मलाना भाग–द्वितीय के गांव बाडिया के 30 उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत गेहूँ का ट्रांजेक्शन दर्शाने के बाद भी गेहूँ नहीं देकर 6.30 क्वि. गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग किया गया। रसद विभाग के जांच दल द्वारा दिनांक 17.06.2021 को झड़स भाग–द्वितीय पोस कोड 6055 के गोदाम की जांच की गई थी। गोदाम में जून 2021 के वितरण के बाद अवशेष 6.64 क्वि. गेहूँ पाया गया था। परन्तु डीलर को माह जुलाई 2021 में वितरण हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत 43.40 क्वि. गेहूँ प्राप्त हो गया था, जो पोस मशीन में प्रदर्शित नहीं था, परन्तु गोदाम में होना चाहिए था। उक्त 43.40 क्वि. गेहूँ गोदाम में नहीं पाया गया था एवं डीलर द्वारा उक्त गेहूँ प्राप्त होने के संबंध में जांच दल को अवगत नहीं करवाया गया था। यद्यपि डीलर द्वारा निलम्बन के बाद भी उक्त गेहूँ का पोस मशीन द्वारा वितरण करना दर्शाया गया है। यह वितरण उसके द्वारा अपने कृत्य को छुपाने के लिए किया गया। इस प्रकार पवन कुमार/खेमजी उचित मूल्य दुकानदार झड़स भाग–द्वितीय द्वारा ग्राम पंचायत मलाना भाग–द्वितीय (अस्थाई) पोस कोड 6075 द्वारा माह जून 2021 में उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत गेहूँ का ट्रांजेक्शन दर्शाने के बाद भी गेहूँ नहीं देकर 6.30 क्वि. गेहूँ का गबन करने के साथ ही माह जुलाई 2021 में वितरण हेतु प्राप्त 60 क्वि. 60 किग्रा. 450 ग्राम गेहूँ का भी गबन एवं दुरूपयोग किया गया है। साथ ही पूर्व की 1.76 क्वि. चीनी का भी गबन एवं दुरूपयोग किया गया। इसके साथ ही झड़स भाग–द्वितीय पोस कोड 6055 में माह जुलाई 2021 हेतु प्राप्त 43.40 क्वि. गेहूँ का भी गबन किया गया था, जो कृत्य को छिपाने के लिए निलम्बित होने के पश्चात् वितरण दर्शाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा दोनो उचित मूल्य दुकानों पर कुल 110 क्वि. 30 किग्रा. 45 ग्राम गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग किया गया। पवन

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.08 16:44:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

कुमार/खेमजी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत् जारी प्राधिकार–पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 11, 15 17सी व 18 का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध है। इस पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 654–58 दिनांक 06.07.2021 द्वारा उसका प्राधिकार–पत्र संख्या 1488/2011 निलम्बित किया गया एवं कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसका डीलर द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। डीलर को कई अवसर दिए गए। परन्तु डीलर निर्धारित तिथियों को सुनवाई हेतु उपस्थित नही हुआ। जिस पर डीलर के विरूद्ध निर्णय पारित किया जाकर दिनांक 25.04.2022 को उसका प्राधिकार–पत्र निरस्त करते हुए उसकी संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त की गई। साथ ही इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 149–150 दिनांक 02.02.2022 द्वारा डीलर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0017/07.02.2022 दर्ज करवाई गई। एफ.आर सं. 01/ 23.10.2022 जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान के पश्चात् मामला अदम वाकुवा तथ्य की भूल होने पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत की है किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा अभी तक इसे स्वीकृत नही किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पवन कुमार/खेमजी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को खारिज करने के आदेश जारी करने का श्रम करावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। श्री पवन कुमार पिता श्री खेमजी उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झडस, भाग द्वितीय निवासी अवलपुरा, तहसील गढी के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में प्रवर्तन निरीक्षक गढी द्वारा जाँच दिनांक 25.06.2021 को की गई तथा शासन सचिव महोदय, खादय एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक P8-1-F/..22/11.. दिनांक 20.01.2022 की अनुपालना में तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ..स्था/अभियोजन/2021/119 दिनांक 21.01.2022 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी गढ़ी द्वारा भी प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.08 16:44:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिसमें डीलर द्वारा दोनो उचित मूल्य दुकानो मलाना भाग–द्वितीय (अस्थाई) एवं झडस भाग द्वितीय पर कुल 110 क्वि. 30 किग्रा. 45 ग्राम गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग किया जाना पाया गया है। मलाना भाग द्वितीय के गोदाम में 176 किग्रा चीनी की मात्रा मौके पर नही पायी गई है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 10/2021 दर्ज कर प्राधिकार पत्र अग्रीम आदेश तक निलम्बित किया गया एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया है एवं विधि संगत ढंग से सुनवाई की जाकर तथ्यों के आधार पर प्राधिकार–पत्र निरस्त किया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर सं. 0017 दिनांक 07.02.2022 दर्ज करवाई गई है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान के पश्चात् मामला अदम वाकुवा तथ्य की भूल होने पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत की है किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा अभी तक इसे स्वीकृत नही किया है।

अतः जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत् जारी प्राधिकार पत्र की प्राधिकार की शर्त संख्या 2, 5, 11, 15, 17सी व 18 का उल्लंघन होने से अनुज्ञा–पत्र निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–04–2022 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलार्थी निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–04–2022 को यथावत् रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.08 16:44:21 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर,
बांसवाडा

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)